

विज्ञापन संख्या 04/2012, बिहार सचिवालय सेवा के अन्तर्गत प्रशाखा पदाधिकारी के कुल 36 (छत्तीस) पदों पर द्वितीय सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्ति हेतु बिहार सचिवालय सेवा के अर्हता प्राप्त सचिवालय सहायकों एवं सलग्न कार्यालय के सहायकों से विहित प्रपत्र म आवेदन आमत्रित किए जाते हैं। इन 36 (छत्तीस) पदों में से अनारक्षित को 29 (उनतीस), अनुसूचित जाति को 06 (छः) एवं अनुसूचित जनजाति को 01 (एक) पद अनुमान्य है।

2. वेतनमान - पे बैंड-2 रु. 9300-34800/- ग्रेड पे- रु. 4800/-  
(चार वर्षों के बाद पे बैंड-3, ग्रेड पे- रु. 5400/-)

3. पात्रता एवं शर्तें -

- सेवा के सहायक ग्रेड में सेवा संपुष्ट हो।
- सेवाकाल - दिनांक 01.08.2011 को सहायक ग्रेड में उसकी सेवा 05 (पाँच) वर्षों से अधिक की हो गयी हो।
- प्रत्येक उम्मीदवार को इस परीक्षा में अधिकतम तीन अवसर प्रदान किया जाएगा।

4. उम्र सीमा - निर्धारित नहीं है।

5. चयन का आधार - सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर।

सीमित प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम - परीक्षा में कुल दो पत्र होंगे और प्रत्येक पत्र 100 अंकों का होगा। प्रत्येक पत्र के लिए परीक्षा 3 घंटे की अवधि की होगी। प्रत्येक प्रश्न बहुविकल्पोय वस्तुनिष्ठ प्रकृति का होगा।

लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी (अनारक्षित) के लिए चालीस प्रतिशत (40%), अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उम्मीदवारों के लिए बत्तीस प्रतिशत (32%) अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, जैसा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापक - 2374, दिनांक 16.07.2007 द्वारा विहित है। ऐसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों में से ही आयोग के विनिश्चयानुसार सुयोग्य उम्मीदवारों की अनुशांसा की जाएगी।

प्रथम पत्र - प्रथम पत्र में सामान्य ज्ञान, भारत का संविधान, लोक प्रशासन तथा विकास संबंधी प्रश्न पूछे जायेंगे।  
द्वितीय पत्र - द्वितीय पत्र में निम्नलिखित नियमावली, नियम या संहिता से प्रश्न पूछे जायेंगे:-

- बिहार सेवा संहिता
- बिहार पेंशन नियमावली
- बिहार कार्यपालिका नियमावली
- सचिवालय अनुदेश
- बोर्ड प्रकीर्ण नियमावली
- बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली
- बिहार यात्रा भत्ता नियमावली
- बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली
- बिहार कोषागार संहिता
- बिहार वित्तीय नियमावली
- बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

### आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

6. प्रविष्टि:

- आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ए-4 आकार (210x297 मिमी.) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ-साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।
- आवेदन पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसे

(i) आवेदन की कड़िका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; सिन्धु, इस प्रकार भरा जाय- 

रि	न	र	धा
----	---	---	----

(ii) हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें।

(iii) आवेदन की कड़िका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।

(iv) आवेदन की कड़िका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02 एवं अनुसूचित जनजाति के लिये 03 भरें।

उसी प्रकार सभी आयतों को भरें। अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।

(v) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबंधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (x) कर दें।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 09 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

(vii) स्तम्भ (कॉलम) 10 में यदि कोई सूचना विज्ञापन में वांछित हो, तब ही भरें। अन्यथा, उसे क्रॉस (x) कर दें।

7. फोटोग्राफ:

आवेदन-पत्र के पृष्ठ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु छोड़े गए खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। फोटो स्टेपल न करें या सेलोटैप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ। दोनों फोटो एक ही निगेटिव का होना चाहिए। भविष्य में संबंधित परीक्षा के उपयोग हेतु निगेटिव सुरक्षित रखें। फोटो हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन-अस्वीकृति का कारण हो सकता है। फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।

8. लिफाफा:

(i) लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं. एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

(ii) विहित आवेदन पत्र के साथ सहायक ग्रेड में सेवा संपुष्टि से संबंधित कार्यालय आदेश एवं जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रतियाँ अनिवार्य रूप से अनुलग्नक के रूप में संलग्न करें।

(iii) 16x10 से.मी. का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 25-25 रुपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

9. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं. 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अपने स्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

10. शुल्क:

केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 75/- (पचहत्तर) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 125/- (एक सौ पचीस) रुपये तथा अन्य के लिए 300/- (तीन सौ) रुपये + बैंक चार्ज 50/- (पचास) रुपये; कुल 350/- (तीन सौ पचास) रुपये चालान के माध्यम से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करें। उक्त चालान आयोग के वेबसाइट <http://bpsc.bih.nic.in> से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। चालान की एक प्रति (BPS's Copy) आवेदन के साथ निश्चित रूप से संलग्न करें तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखें। इससे भिन्न किसी अन्य रूप में प्राप्त शुल्क स्वीकार नहीं किए जाएंगे तथा वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

11. अन्य:

अपूर्ण, अस्पष्ट, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं होगा।

12. अंतिम तिथि:

(i) भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निर्बंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि बुधवार, दिनांक 11.07.2012 की संध्या 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना - 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।

(ii) यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन आयोग में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैसे आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।